

चेक लिस्ट क. 28

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

कार्यालय परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)
(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

प्रमाण पत्र

आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बाकारूमा-लैलूंगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र लैलूंगा के कक्ष क्रमांक ग्राम सलखिया PF-187 रकबा 3.327 हेक्टे., हीरापुर PF-193 रकबा 0.351 हेक्टे. और चोरंगा PF-209 रकबा 0.165 हेक्टे. कुल 3.843 हेक्टे. वन भूमि प्रभावित हो रहं है। संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।


(ए. क. दीवान)
परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लैलूंगा, जिला- रायगढ़ (छ0ग0)

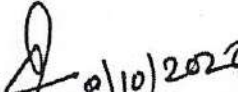
क्र. १६ / / अ.वि.अ. / वाचक / 2020

लैलूंगा दिनांक

प्रस्ताव

परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर द्वारा बाकारूमा-लैलूंगा मार्ग (22.920 कि.मी.) के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण 1980 के अंतर्गत रकबा राजस्व वन भूमि 0.00 हे. एवं वन भूमि का रकबा 3.843 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत (वन निवासी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनमंडल लैलूंगा अंतर्गत वन परिक्षेत्र ग्राम सलखिया अंतर्गत वन भूमि कक्ष क्रमांक 187 रकबा 3.327 हेक्टे., ग्राम हीरापुर अंतर्गत वन भूमि कक्ष क्रमांक 193 रकबा 0.351 हेक्टे. एवं ग्राम चोरगा अंतर्गत वन भूमि कक्ष क्रमांक 209 रकबा 0.165 हेक्टे. कुल प्रभावित क्षेत्र का रकबा राजस्व वन भूमि रकबा 0.00 हे. एवं वन भूमि रकबा 3.843 हे. भूमि प्रभावित हो रहा है तथा प्रभावित क्षेत्र में राजस्व एवं वनभूमि में किसी भी व्यक्ति को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित नहीं किया गया है एवं प्रभावित क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है तथा शासन द्वारा संचालित स्कूल भवन, आंगनवाडी भवन, पंचायत भवन, अस्पताल इत्यादि प्रभावित नहीं हो रही है। आवेदित संस्था विभाग द्वारा भूमि के व्यपवर्तन हेतु उपरोक्तानुसार राजस्व वन भूमि रकबा 0.00 हे. एवं वन भूमि रकबा 3.843 हे. हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संलग्न है। उपखण्ड स्तर पर उक्त ग्राम में वन अधिकार समिति के सभी दावे/आवेदनों का विनिश्चय कर लिया गया है। उक्त ग्राम की प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन पर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति लैलूंगा उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पारित करती है। यह प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रेषित है।

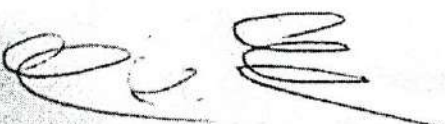

अनुविभागीय अधिकारी
वन समिति लैलूंगा
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
लैलूंगा, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)


श्रीमती सचमती चौहान
जसदेव
उपखण्ड वनाधिकारी समिति


श्रीमती किरण पैकरी
सदस्य
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
जनपद पंचायत लैलूंगा


ज.प. सिंह
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
Jenped Panchayat - Lailunga
मुख्यांश
जनपद पंचायत लैलूंगा


ज.प. सिंह
उपखण्ड वनाधिकारी समिति
अनुविभागीय अधिकारी (वन)
वन विभाग लैलूंगा



वन अधिकार समिति

प्रदर्श - "ब"

ग्राम सभा हिरापुर की बैठक दिनांक 29/07/2020
का कार्यवाही विवरण

ग्राम हिरापुर ग्राम पंचायत हिरापुर दिनांक 29/07/2020

स्थान हिरापुर

आज दिनांक को ग्राम हिरापुर के सरपंच श्री/श्रीमती श्री प्रसाद शिकारी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम हिरापुर में आवेदक ADB (P.O.D) हे. (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 5.35 हे. वन भूमि 0.55 हे. राजस्व वन भूमि कुल निरैक हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	हिरापुर	निरैक	निरैक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 0.35 हे. वन भूमि 0.35

स.क. राठिया हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग निरैक हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ADB (P.O.D) (आवेदक) ADB (P.O.D) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सुपरी लाल श्री प्रसाद शिकारी
सरपंच
ग्राम पंचायत हिरापुर
ज.प. लैलंगा, जि. रायगढ़ (छ.ग.)

राजेश
रतन लाल पैकरा
सचिव

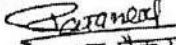
PCW-31
29/07/2020
फ़ाइल करके दृष्ट
प्र.ड.नं. 39.
तह. लैलंगा, जि. रायगढ़ (छ.ग.)

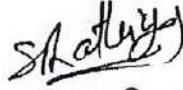
रतन लाल
हस्ताक्षर
नाम चौधरी
29/07/20
अक्षय

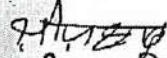
देवन्ती चौधरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग बाकारुमा-लैलूंगा का चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य किया जाना है। उक्त मार्ग ग्राम हीरापुर अंतर्गत वन भूमि से गुजर रहा है, जिसमें कक्ष क्रमांक 193 रकबा 0.351 हेक्टे. प्रभावित हो रहा है। जिसमें वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अंतर्गत प्रभावित ग्राम वासियों के मतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

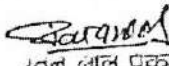

रतन लाल पैंकरा
सचिव
ग्राम पंचायत हीरापुर

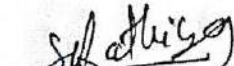

एस. के. राठिया
वन रक्षक
राजपुर

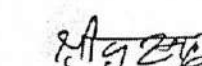

श्री प्रसाद शिकारी
सरपंचसंकेतहस्ताक्षर
ग्राम पंचायत हीरापुर
ज.प. लैलूंगा, जि.रायगढ़ (छ.ग.)

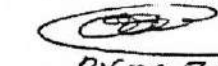
वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रति

01. बाकारुमा लैलूंगा मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील के अंतर्गत ग्राम हिरापुर के परिक्षेत्र लैलूंगा में कक्ष क्र० - 193 संरक्षित वन भूमि 0-165 हे० प्रभावित वन भूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है। 0-351
02. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 29/07/2020 राजस्व विभाग, वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच किया गया।
03. वन भूमि के उक्त परियोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी नहीं पाया गया।
04. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

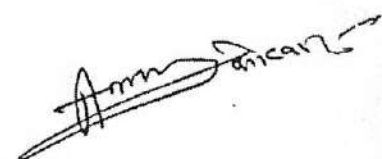

रतन लाल प्रकाश
सचिव
ग्राम पंचायत हीरापुर


एस. के. साखिया
वन अधिकारी
रायपुर


श्री प्रसाद शिकारी
सरपंच
ग्राम पंचायत हीरापुर
ज.प. लैलूंगा, जि. रायगढ़ (छ.ग.)


P.C.W. 39
29/07/2020
फ्लोरेस करकट
प्र.ह.क्र. 39.
तह. लैलूंगा, जि. रायगढ़ (छ.ग.)

- संख्या 2101
- ① चंद्रशेखर
 - ② चंद्रशेखर
 - ③ लक्ष्मी
 - ④ देवती चौधान


अनुराग कुमार

21516

7222 2711

[illegible]

[Faint handwritten text, possibly "D.D."]

वन अधिकाधिक समिति

प्रदर्श - "ब"

ग्राम सभा चोरा की बैठक दिनांक

ग्राम चोरा का कार्यवाही विवरण

स्थान चोरा ग्राम पंचायत चोरा दिनांक

आज दिनांक 25/07/2020 को ग्राम चोरा के सरपंच श्री/श्रीमती बेला देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 55 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम चोरा में आवेदक A.D.B. (P.O.D.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु फ 209 है। वन भूमि 0.1.65 हे. राजस्व वन भूमि कुल निर्णय हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि सदस्य निर्णय कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 0.1.65 हे. वन भूमि 0.1.65 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग निर्णय हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स A.D.B. (P.O.D.) (आवेदक) A.D.B. (P.O.D.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

बेला देवी
वन अधिकाधिक समिति

सतीश भगत
सचिव
ग्राम पंचायत-चोरा
जिला-रायपुर

Puran Singh Side
P.C.N - 312
Tah Lailunga
Dist-Raigarh (C.G.)

तीजराज राठिया
सरपंच
ग्राम पंचायत-चोरा
जिला-रायपुर

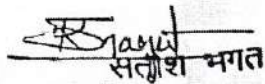
सुबीराम
देवचरण

सदस्यगण
① सम्पुर्ण
② सुबीराम
③ देवचरण

अनापत्ति प्रमाण पत्र

173

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग बाकारूमा-लैलुंगा का चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य किया जाना है। उक्त मार्ग ग्राम चोरगा अंतर्गत वन भूमि से गुजर रहा है, जिसमें कक्ष क्रमांक 209 रकबा 0.165 हेक्टे. प्रभावित हो रहा है। जिसमें वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अंतर्गत प्रभावित ग्राम वासियों के मतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


सुशील कुमार

सचिव

ग्राम पंचायत चोरगा

वैशाख ज.प. लैलुंगा, जि. रायगढ़ (छ.ग.)

वन अधिकारी समिति
अध्यक्ष

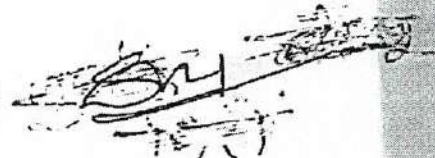
सदस्यगण

① श्रीमान

② समपुरा

③ सुबोधराम

④ देवचरण

⑤ 


तीजेंद्र सिंह राठिया
सरपंच, चोरगा
ग्राम पंचायत-चोरगा
ज.प. लैलुंगा, जि. रायगढ़ (छ.ग.)

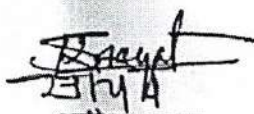

Puran Singh Sidai
P.C.N -- 842
Tah Lailunga,
Distt-Raigarh (C.G.)

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रति

01. बाकारुमा लैलुंगा मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के लैलुंगा तहसील के अंतर्गत ग्राम हिरापुर के परिक्षेत्र लैलुंगा में कक्षा कं० - 199 संरक्षित वन भूमि 0.165 हे० प्रभावित वन भूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है। 209
02. गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक.....
राजस्व विभाग, वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच किया गया।
03. वन भूमि के उक्त परियोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी नहीं पाया गया।
04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैर वानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वन भूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

-पहवाशि

वन विभाग

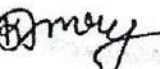

सतोश भगत
सचिव
ग्राम पंचायत वोरंगा
ज.प. लैलुंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

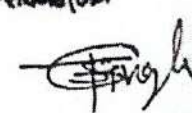

तीजराज राठिया
सहस्रपुत्र
ग्राम पंचायत वोरंगा
ज.प. लैलुंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

सदस्य गण

① सम्पुरब

② 

③ 


Puran Singh Sidai
P.C.N. 342
Tah Lailunga
Distt-Raigarh (C.G.)

पं विकासखण्ड जोरा तहसील जोरा जिला जोरा

क्र.	उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	जी तीजरा राठिया	प्र. क्र. 005	आज दिनांक - 29/07/2020	गद प्रस्ताव सर्व	क्र. 005
2	उपस्थित पंच		की छी बैठा खु राठिया के	संज्ञाति से पारित	
3	उपस्थित पंच		आमोहित से ग्रामस्थ। बैठक	किया गया।	
4	जगमोती पंच	चौड़ाई करण कामा	जिसमें 22 कि.मी. वृत्ताकार		
5	जीधर ना	हेतु वन अधिकार	से बैठा खु राठिया के		
6	मालती ना	समिति के संबंध	एवं गवनी करण वन अधिकार		
7	मुन्ना ना	में वन अधिकार	निमित्त 2006 के अन्तर्गत		
8	सादत ना	नियम 2006 द्वारा	प्र. क्र. 005. कुल रु. 0.15		
9	अमास ना	उ. (प्र.) इ. उ. (2) के	है वन अधिकार के तहत		
10	खिरो पेंकरा ना	संबंध में।	वन भूगो के वेव पंत्तन करण		
11	नैक भुमार ना		अनुमति प्राप्त जाति एवं अनुमति		
12	निवाचन ना		जो जाति को र-गेर परामर्शगत		
			वन निवासी धर्मजयार्द मंडल		
			परिक्षित जोरा के जोरा		
			ग्राम किवी मेमि को ब्याड		
			के समीप वन अधिकार पक्ष		
			नहीं दिया गया।		
	सिताशिंग				
	सचिव				

क्रमांक 05

दिनांक 29/07/2020

ग्राम पंचायत, जोरा

तीजरा राठिया

सचिव

ग्राम पंचायत

जोरा

॥ तक ली



विकासखण्ड

1157210

तहसील

15/10/20

जिला

3152120

सत्य प्रतिलिपि

क्र.	उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्री महादेव प्रसाद	प्र. ५०/२	छात्र दिनांक ३०-०७-२०२० को	२६-५-२०१९ सर्व	५०/१
2	श्री परमानंद मोय	काकाका लोहगंगा मा	दोनों राम पैकरा के आदेशना में	२६-५-२०१९ सर्व	
3	श्री परमानंद मोय	२२ डि. २०१९ चोड़िका	राम राम कोठु आयोगिन	२६-५-२०१९ सर्व	
4	श्री राजकुमार पंच	काय हेतु वनअधिकार	दिया गया। जिसमें २२ डि. २०१९	२६-५-२०१९ सर्व	
5	श्री परमानंद मोय	समिति के संकोच के	काकाका से लोहगंगा सड़क चौड़ी	२६-५-२०१९ सर्व	
6	श्री परमानंद मोय	वन अधिकार नियम	करण एवं नवनीकरण वन अर्थ	२६-५-२०१९ सर्व	
7	श्री परमानंद मोय	२००६ चारा ३(१)	कार नियम २००६ के अन्तर्गत	२६-५-२०१९ सर्व	
8	श्री परमानंद मोय	२०१९ चोड़िका	५०/१८७ के संकोच	२६-५-२०१९ सर्व	
9	श्री परमानंद मोय	२०१९ चोड़िका	वन अधिकार के लक्ष्य वन भूमी के	२६-५-२०१९ सर्व	
10	श्री परमानंद मोय	२०१९ चोड़िका	वैवाचन हेतु अनुसूचित जाति	२६-५-२०१९ सर्व	
11	श्री परमानंद मोय	२०१९ चोड़िका	एवं अनुसूचित जनजाति को	२६-५-२०१९ सर्व	
12	श्री परमानंद मोय	२०१९ चोड़िका	जो परांपरागत वन निवासी	२६-५-२०१९ सर्व	
13	श्री परमानंद मोय	२०१९ चोड़िका	चारमजगार मण्डल परिषद् लोहगंगा	२६-५-२०१९ सर्व	
14	श्री परमानंद मोय	२०१९ चोड़िका	के सलसिया, राम किली व्यापक	२६-५-२०१९ सर्व	
15	श्री परमानंद मोय	२०१९ चोड़िका	को रोड़ के समीप वन अधिकार	२६-५-२०१९ सर्व	
16	श्री परमानंद मोय	२०१९ चोड़िका	पाइल नहीं दिया गया।	२६-५-२०१९ सर्व	

क्रमांक.....१२.

दिनांक ३०/७/२०२०

श्रीमती अंगनी मैकरा
सचिव

वि. ए. सेवुंगा, जि. रायगढ़ (छ.ग.)

पञ्चाङ्ग प्रकाश पत्रिका

अस्य पंच

गुणम व-वा-यत। मन्मथियुग।

ग्राम पंचायत